...डूंगरगढ जिला बीकानेर
निर्णय दिनांक 15.3.2021

मदनलाल पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—वादी—

—:बनाम:—

1. दुलाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला
2. भगवानाराम पुत्र जेठाराम जाट निवासी रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः—
1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी
2. श्री राजाराम नैण अभिभाषक

यह प्रार्थना पत्र मदनलाल ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 एक ही परिवार के सदस्य है वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र एवं प्रतिवादी संख्या 2 का भाई है। वादी एवं प्रतिवादी के विरास्तन विरास्तन के खेत खसरा नम्बर 437/132 तादादी 13.3600 हैक्टेयर रोही अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। वादगत खेतों का आपसी पारिवारिक विभाजन में वादी के मध्य हो चुका है 1/3 हिस्सा हिस्से पांती में आये हुए है तब से लगातार वादी का कब्जा–काश्त एवं उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वादी उक्त खसरा नम्बर 437/132 तादादी 13.3600 हैक्टेयर रोही अभयसिंहपुरा में स्थित अपने हक हिस्से की भूमि की घोषणा विभाजन करवाना चाहता है एवं इसी अनुसार वादी ने अपनी खातेदारी हिस्सा की कब्जा–काश्त की भूमि पर सुधार कार्य करवाकर उपजाऊ बना रखी है। तथा मेढ़ कर रखी है परन्तु भूमि का विधिवत् रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वादी को अपने हिस्से की कृषि भूमि से सम्बधित हर तरह कार्य करवाने एवं बैंक से ऋण लेने में कई तरीके की कठिनाई आती है। वादी ने प्रतिवादी से वादगत खेतों के खातेदारी घोषणा एवं विभाजन बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से दिनांक 20.08.2020 को स्पष्ट इनकार कर दिया। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणा, विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 20.08.2020 को वादगत खेतों की घोषणा एवं विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इनकार हो गये। और वादी को धमकिया दी कि वादगत खेतों में हमारे खातेदारी दर्ज है हमारे नाम है। हम वादगत को में से तुम्हे बेदखल कर देगे एवं वादगत खेतों को किसी अन्य शख्स को विक्रय कर देंगे। वादगत खेतों में वादी का कब्जा काश्त होने एवं वादी व प्रतिवादी का संयुक्त खातेदारी के होने व प्रतिवादी द्वारा दिनांक 20.08.2020 की इनकारी से वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वादाधार व वाद हेतु हासिल है। वादगत भूमि में हक वादी का कब्जा काश्त होंने से आपसी पारिवारिक विभाजन के मुताबिक बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहकावे में आये हुए है तथा उपरवर्णित खेतों में आये हुए वादी के हक हिस्से से जबरदस्ती बेदखल करने व कब्जा छुडाने व विक्रय हस्तान्तरण करने की दिनॉक :– 20.08.2020 को धमकी दी और प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने कहा कि खेत खसरान हमारे नाम है हमारे खा[illegible] है इसलिए इस खेतों में हम तुम्हे घुसने नही देंगे। और इन खेतों के [illegible] को अच्छी कीमत में विक्रय कर देंगे तब वादी ने दिनॉक 20.08.2020 को ही प्रतिवादी [illegible] 2 से वादी के हिस्से की भूमि की घोषणा कराने तथा किसी तरह की मदाखलत [illegible] करने हेतु निवेद[illegible] तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ऐसा करने से साफ ईन्कार हो गये और धमकी दी तुम्हे [illegible]त खेतों में से एक बिस्वा भी भूमि नही देगे और खेतों से बेदखल कर देंगे व खेत को विक्रय कर देगे इसलिए वादी को दिनॉक 20.08.2020 को प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणा, खाता विभाजन व

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:08:41 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

...वादाधार प्राप्त है इसलिए वादी द्वारा उक्त दावा घोषणा, विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी ने उक्त दावा प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणात्मक व विभाजन के अनुतोष का चाहा है। उक्त दावे में प्रतिवादी संख्या 8 के रूप राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित किया गया है। स्टेट को दावा खाता तरमीम के औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। स्टेट के विरुद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नहीं चाहा गया है। घोषणात्मक के दावे में दावा के अनुतोष में दावा दायरी से दो माह पूर्व जाब्ता दीवानी की धारा 80(1) सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु उक्त दावा अत्यन्त ही अर्जेन्ट नेचर का है। अगर राजस्थान सरकार को दो माह का नोटिस देकर इन्तजार किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 अपने गलत इरादे मे सफल हो जायेगा और दावा का मकसद ही समाप्त हो जायेगा इसलिए दावा दायरी से पूर्व धारा 80(2) सी.पी.सी. की छूट हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर छूट प्राप्त कर उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त दावा में राज्य सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया। वादगत खेत रोही बाना एवं केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ मे स्थित है। जो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है। दावा उचित न्याय शुल्क पर समयावधि के भीतर श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री आज्ञप्त फरमाई जावे :–

क. यह है कि वादी को खसरा नंबर 437/132 तादादी 13.3600 हैक्टेयर रोही रिडी के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर अलग से खाता विभाजन किया जावे व तद्नुसार ही राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में तरमीम किया जावे।

ख. यह है कि प्रतिवादी को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 437/132 तादादी 13.3600 हैक्टेयर रोही अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ मे वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत बेजा नही करें तथा उक्त खसरा के किसी भी भाग को विक्रय, रहन, बैय, हस्तान्तरण नहीं करें ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें ना किसी अन्य से करावें जिससे वादी के हितों पर विपरीत असर पडता हो। दौराने दावा मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें।

ग. यह है कि प्रतिवादी संख्या 7 को आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 437/132 तादादी 13.3600 हैक्टेयर रोही अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ में वादी के

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:08:41 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश कर राजीनामा पेश किया तथा निवेदन किया है कि वादीगण का दावा स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगणों के राजीनामे के अनुसार वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 437/132 तादादी 13.3600 हैक्टेयर रोही अमरसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को संयुक्त रूप से 13.3600 हैक्टेयर भूमि का बहिस हिस्सा खातेदार घोषित किया जाता है। अतः तहसीलदार श्रीडूंगरगढ मौके पर पहुंच कर विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए कब्जा काश्त के अनुसार वादी के खेती में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.3.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुना गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:08:41 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व हर्जा ... डीग्रदी सालाना आज की जारी ______ तारीख वसुलयाबी ______ को अदा करें।
इसलिए मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 18 माह 03 सन 2021 को जारी किया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2 अर्जी के लिए स्टाम्प	0
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	3 प्लीडर की फीस	0
......रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4 साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
साक्षियो के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:08:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़